न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 92/2016

1. रछपालसिंह पुत्र बाबूराम जाति राजपूत बजात खुद सा कतराह तहसील फतेहपुर।
2. निर्मला देवी पुत्री बाबूराम जरिये मुख्त्यारआम रछपालसिंह पुत्र बाबूराम जाति राजपूत निवासी कतराह तहसील फतेहपुर हाल चक 8 एफडीएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट्स

बनाम

1. मेहरचन्द पुत्र
2. निर्मला देवी पुत्री
3. तुलछीदेवी पत्नी

तुनुराम जाति घिर्थ साकिन ढडम्ब तहसील शाहपुर जिला कांगडा हि0प्र0।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 22.02.2016

उपस्थितिः—

श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक अपीलांट

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 29.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट यह अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा दिनांक 22.02.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध पेश की है गई। उक्त आदेश के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा प्रार्थी/रेस्पों. को बतौर पॉग बांध विस्थापित चक 8

29/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

एफडीएम कं मु.नं. 112/346 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.325है0 कमांड भूमि आवंटित की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 18.03.2016 को होने से नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील धारा 5 के प्रा.पत्र मय शपथ पत्र सहित पेश की गई है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से पीडित पक्षकार है। अतः अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र अपील के साथ पेश किया है। अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपील मियाद बाहर पेश की है। अतः मियाद के बिन्दु पर भी अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट ने अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपील के साथ धारा 96 सीपीसी प्रा.पत्र पेश किया है। रेस्पों. द्वारा उक्त प्रा.पत्र के खण्डन में प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र 96सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। रेस्पों. द्वारा उक्त प्रा.पत्र के खण्डन में प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र

29/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 22.02.2016 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें अपीलांट की आवंटनशुदा कब्जाशुदा भूमि का आवंटन रेस्पों. को किया गया है जो रेस्पों. का आवंटन पश्चातवर्ती दोहरा आवंटन होकर आवंटन अपास्त योग्य होने से आदेश निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विवाद का सार बिन्दू एक ही भूमि दो पॉंग बांध विस्थापितों को आवंटन होना है यथा अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपील के साथ फार्म नं. 3 के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों में अपीलांट रछपालसिंह के पूर्वज बाबूराम को आवंटित भूमि का आवंटन आदेश की छाया प्रति पेश की। आदेश की इबारत है कि राजस्थान नहर परियोजना से होने वाले पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के विस्थापितों के लिए राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में रकबा आरक्षित किया गया है, उस आरक्षित रकबे में से गांव कतराह तहसील कतराह जिला कठुआ के निवासी श्री बाबूराम वल्द नाथू को जिसका नाम उपायुक्त पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, व्यास डेम तलवाडा टाटनशिप, तलवाडा, पंजाब द्वारा प्रेषित की सूची में संख्या 96ा पर अंकति है, राजस्थान परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत चक 8 एफडीएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का निम्नांकित रकबा तादादी 25 बीघा निम्नलिखित शरायत पर अलॉट किया जान स्वीकृत है :–

मुरब्बा नम्बर	तदाद बीघा		
	सिचिंत	असिचिंत	कुल
112/346	25 बीघा	—	25 बीघा

29/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

शरायतः–(1) राजस्थान कोलोनाईजेशन अधिनियम सन् 1954 के प्रावधानों के अन्तर्गत मंजूरशुदा नियम उपरोक्त जमीन पर लाग होगें और इस सम्बन्ध में भविष्य में जो भी नियम समय समय पर प्रचलित किये जावेगे वह भी अलाटी को मान्य होगें।

(2) उपरोक्त जमीन की जो भी कीमत राज्य सरकार तय करेगी, उसकी समय पर अदायगी का अलाटी जिम्मेवार होगा।

(3) मालगुजारी या दीगर मतालवा जो इस जमीन पर कायम है या आयन्दा होवेगा वह नियत समय पर अलाटी को दाखिल करना होगा।

(4) जब तक उक्त जमीन की सारी कीमत दाखिल न करदी जावे अलाटी इस जमीन की किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं कर सकेगा।

(5) नियमों के विरूद्ध उक्त जमीन की अलोटी किसी दूसरे को गिरवी काश्त(सब–लेट) नहीं दे सकेगा।

बसत खिलाफ वर्जी ...अथवा निर्देश, सरकार की अधिकार होगा, अलाटी को जमीन से बेदखल.....। हस्ताक्षर उपायुक्त उपनिवेशन राजस्थान नहर परियोजना बीकानेर। इसी फार्म संख्या 3 के साथ आवंटन की पालना में कब्जा बाबत प्रस्तुत प्रमाण पत्र में तहसीलदार उपनिवेशन अनुपगढ का सन्दर्भ पत्र कमांक 187 दिनांक 06.01.68 में अंकित किया है कि बाबूराम वल्द नाथू निवासी ग्राम कतराह तहसील कतराह जिला..... को दिनांक 28/2/67 को खुद को प्रतिनिधि..... वल्द.....निवासी..... ग्राम.....तहसील..... को निम्नलिखित भूमि का कब्जा मुताबिक आदेश दे दिया गया है। इति। दिनांक.....

नाम राजस्व तहसील	नाम गांव	नाम चक	मुरब्बा नं.	रकबा
सूरतगढ	सरदारगढ	8एफडीएम	112/346	25 बीघा

हस्ताक्षर अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान प्रमाण पत्र अनुसार अपीलांट्स पोंग बांध विस्थापित बाबूराम के वारिसान है।

उपरोक्त तहसील सूरतगढ के चक 8 एफडीएम के प.नं. 112/346 के कि.नं. 1 से 25 का 6.325है0 भूमि पुनः बांध विस्थापित तुनुराम के वारिसान मेहरचन्द , निर्मलादेवी, तुलसीदेवी को यही आराजी इस आधार पर आवंटित की गई कि मेहरचन्द के पूर्वज तुनुराम पोंग बांध निर्माण का विस्थापित है जिसे जरिये नोटिस अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा नोटिस कमांक पो.बा.वि./23/15 /135/15 / 372 दिनांक 24.04.2015 द्वारा सूचित करने पर रेस्पों. द्वारा उपस्थित होकर मूल विस्थापित का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व राशन कार्ड की छाया प्रति के साथ एक प्रा.पत्र पेश कर सूरतगढ तहसील में भूमि आवंटन का निवेदन किया जो अधी. न्यायालय की पत्रावली की पृष्ठ सं. 8 से 19 पर उपलब्ध है। रेस्पों. ने कौनसी भूमि आवंटित करने की सहमति दी कहीं उल्लेखित नहीं है तथा आवंटन से पूर्व अधी. न्यायालय ने भी मौके एवं रिकार्ड की कोई रिपोर्ट तलब नहीं की जिससे यह पता चले कि मौके पर कौनसी पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि निर्विवाद होकर आवंटन पश्चात कब्जा देने योग्य है। अगर तहसील से रिपोर्ट ली जाती तो यह तथ्य भी रिकार्ड पर आ सकता था कि विवादित भूमि पूर्व में आवंटित होकर अपील मीमों अनुसार के बिन्दू सं. 1(क)(ख)(ग) अनुसर चक 8 एफडीएम के प.नं. 112/346 के कि.नं. 1 ता 25 का 6.325है0 कमाण्ड रकबा अपीलांट के पिता बाबुराम पुत्र नाथु को 24.12.1966 से पोंग बांध विस्थापितों में आवंटन होकर अपीलांट के पिता बाबुराम के कब्जा काश्त में चलता रहा व अपीलांट के पिता व माता के फौत हो जाने पर यह रकबा अपीलांटगण जो मृतक बाबुराम के पुत्र/पुत्री के कब्जा काश्त में चला आ राह है। रकबा दिनांक 24.12.1966 से अपीलांट के कब्जा काश्त में चला आ रहा

29/4/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

है जो पिछले 50 वर्षो से अपीलांटगण के कब्जा काश्त में पोंग बांध विस्थापितों में आवंटी की हैसियत से ही चला आ रहा व अपीलांटगण ने इस रकबा मे से बजड तोडकर काबिल काश्त किया है व इस रकबा को नहरी पानी के लेवल से नीचा करने के लिये लाखों रूपये खर्च करके ट्रेक्टर व उटों से करावा लगाकर समतल किया हैए टयुबवैल लगाया है व इस टयबवैल पर बिजली का कनैक्शन भी काफी समय से लगा हुआ है। कानून विवाद रहित रकबा ही पोंग बांध विस्थापितों को आवंटन किया जा सकता था परन्तु यह रकबा तो पहले से ही अपीलांट के पिता के नाम से आवंटित है। परन्तु अधी. द्वारा रेकार्ड एवं मौके का परीक्षण किये बगैर रेस्पों. को आवंटन किया है जो विधि विरूद्ध है जैसाकि अपीलांट का आवंटन (Allotment of Pong Dam oustee in Rajasthan colony Area Rules 1972) के तहत किया गया है। आवंटन से deprieve करने के लिए इन नियमों के नियम 8 मे स्पष्ट प्रावधान एवं प्रकिया दी गई यथा Rule 8 Cancellation of allotment.-(1) Without prejudice to the provisions contained in the Act or in these rules, if at any time after an allotment , it is found by the allotting authority, either on complaint or otherwise, that an allotment of land under these rules was made upon a false, incorrect or misleading statement of facts or information made or given by the allottee to the allotting authority or to any officer or authority of the Himachal Pradesh Government, such allotment shall be cancelled by the allotting authority and the allotted land shall revert back to the State Government without any payment of compensation.

(2) Before passing an order of cancellation under sub-rule(1), the allotting authority shall give to the allottee concerned, an opportunity of being heard.

(3) For the purpose of proceeding under this rule, the allotting authority may ask for any relevant information or record

29/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

from any officer or authority of Himachal Pradesh Government, who shall supply it to the allotting authority within the requisite time.

उपरोक्त विधिक प्रावधानुसार अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं हुआ है तथा अधी. न्यायालय की पत्रावली की फर्दअहकाम दिनांक 22.02.2016 के रेस्पों. के आवंटन आदेश पश्चात पत्रावली आगे बढी ही नहीं है जबकि आवंटन आदेश में रेस्पों. को किश्त जमा करवाना, कब्जा देना आदि अंकित है। पश्चातवर्ती आदेशिकाओं का लिखना अपेक्षित था परन्तु रेस्पों. द्वारा कोई किश्त जमा करवाई है पत्रावली पर साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त हुआ हो कहीं सन्दर्भ उपलब्ध नहीं है। अतः रेस्पों. का आवंटन मात्र paper allotment होना प्रतीत होता है जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2016 खारिज किया जाता है तथा अपीलांट को आवंटित भूमि तहसील सूरतगढ के चक 8 एफडीएम के प.नं. 112/346 के कि.नं. 1 से 25 का 6.325है0 अपीलांट प्रथम आवंटी होकर यथावत रखने के आदेश दिये जाते है एवं कोई राशि बकाया है तो उस पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज राशि वसूल कर तहसीलदार सूरतगढ रेकार्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करे तथा रेस्पों. को उसकी पात्रता के गुणावगुण के आधार पर निर्विवाद निर्बाध रूप से कब्जे देने योग्य पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि में रेस्पों. की सहमति का आवेदन प्राप्त कर सक्षम प्राधिकारी नियमों की परिधि में कार्य करें।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर